इम्तियाज अहमद

बनाम

उत्तर प्रदेश और अन्य

(आपराधिक अपील सं. 254-262 /2012)

02 जनवरी, 2017

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव, न्यायाधिपतिगण]

न्यायपालिका - अधीनस्थ न्यायपालिका - न्याय प्रशासन - मामलों के निपटारे में लंबे समय तक देरी, - जिला-न्यायपालिका में नए पदों का सृजन – अभिनिर्धारित किया: राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) के अध्यक्ष की रिपोर्ट, कि लंबी अवधि में, जिला न्यायपालिका की न्यायाधीश शक्ति का वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यांकन किया जाए और अंतरिम रूप से, भारित निपटान दृष्टिकोण का सुझाव दिया जाए - केंद्र सरकार द्वारा दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए, हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा शर्तें - पहली शर्त यह है कि उच्च न्यायालयों को विभिन्न श्रेणियों के लंबित स्वीकार किए गए मामले पर वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराना होगा, हालांकि, दूसरी शर्त यह है कि स्वीकृत पदों का 90% भरने के बाद ही नए पद सृजित किए जाने चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है - जिला न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना एक चालू प्रक्रिया है - कई देरी उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में नहीं हैं - इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीश शक्ति प्रदान करना आवश्यक है - इसलिए, आवश्यक न्यायाधीश शक्ति का वैज्ञानिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने का आधार बनेगा कि राज्य सरकारें न्यायिक देरी से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करती हैं - निर्देश जारी करना कि जब तक एनसीएमएससी जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक

पद्धति तैयार नहीं कर लेती, तब तक अंतरिम दृष्टिकोण के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए न्यायाधीशों की संख्या की गणना की जाएगी। - भारत का संविधान.

मामले उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित थे जहां एफआईआर के पंजीकरण, जांच, आरोप तय करने या मुकदमे के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/482 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही रोक दी गई थी। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण गंभीर आपराधिक मामलों जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं डकैती की लंबे समय से लंबितता का न्यायिक नोटिस लिया। विधि आयोग से एक वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और मामलों के त्वरित निपटान के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने और अतिरिक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने के मुद्दे को संबोधित करने का अनुरोध किया गया था। विधि आयोग ने मामलों के बैकलॉग को निपटाने के लिए जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का आकलन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए दर निपटान विधि का सुझाव दिया कि कोई नया बैकलॉग न बने। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) के अध्यक्ष ने निपटान पद्धति की दर के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए एक अंतरिम दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, जो उच्च न्यायालयों की प्रचलित इकाई प्रणाली के साथ विधि आयोग की निपटान दर पद्धति को बढ़ाता है ताकि मामलों को उनकी प्रकृति और जटिलता पर महत्व दिया जा सके। इसलिए, वर्तमान मामला।

न्यायालय :

अभिनिर्धारित किया : 1.1 यह आलोचना कि निपटान पद्धति की दर कुछ अदालतों में कम निपटान पर प्रोत्साहन देती है, की अपनी सीमाएँ हैं। निपटान की कम दर आवश्यक रूप से उस दक्षता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती जिसके साथ एक न्यायाधीश ने अदालत का संचालन किया है। सरकारी अभियोजकों की कमी के कारण मुकदमों में देरी

हो रही है। राज्य द्वारा उद्धृत गवाह, विशेष रूप से पुलिस कर्मी, मुकदमे के लिए निर्धारित तारीखों पर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी होती है। पुलिस की ढिलाई के कारण समन तामील होने में देरी हो रही है। कई उत्तरी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में गर्मी के बढ़ते तापमान के कारण निरंतर बिजली आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण कई जिलों में सुबह की अदालतों को संस्थागत बनाना पड़ा है। सीमित संसाधनों वाले सामान्य वादकारियों और गवाहों की सुविधा, जो परिवहन के उचित साधन के बिना दूर से यात्रा करते हैं, की पीठासीन न्यायिक अधिकारी द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरूप, उन अदालतों का कामकाज प्रभावित होता है जिनमें बुनियादी ढांचे की भी कमी होती है। जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल और संबंधित न्यायाधीश या अदालत के कामकाज से असंबंधित कारणों से काम से विरत रहना सहित कई बाधाएं हैं। ऐसे कारणों से मानव दिवस की हानि के परिणामस्वरूप उत्पादक न्यायिक समय की बर्बादी होती है। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि निपटान पद्धति की दर अनुत्पादक या अकुशल कार्य पर प्रोत्साहन देती है। महज आंकड़ों के आधार पर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। [पैरा 16] [322-बी-एफ]

1.2 निपटान के लिए इकाइयाँ निर्धारित करते समय, उच्च न्यायालयों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रयास किया जाना चाहिए कि पुराने मामलों के निपटान को उचित महत्व दिया जाए। निपटान के लिए निर्धारित इकाइयों को जटिल और समय लेने वाले मामलों को देखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ऐसा न होने पर, जिला न्यायपालिका के लिए प्रतिबंधित आउट-टर्न को उन मामलों के निपटान पर ध्यान दिए बिना हासिल करने का प्रयास किया जाता है जो उनकी जटिलता, शामिल गवाहों की संख्या और ऐसे अन्य कारकों के परिणामस्वरूप लंबे समय तक लंबित रहते हैं। उच्च न्यायालयों को जिला न्यायपालिका के परामर्श से इस पहलू

पर गौर करना चाहिए। सेवा में लंबे वर्षों के अनुभव वाले जिला न्यायाधीश व्यावहारिक वास्तविकताओं की सराहना करने और उन मामलों को लेने के लिए परीक्षण और अपीलीय स्तर दोनों पर न्यायाधीशों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य में इकाई प्रणाली को संशोधित करने के तरीके को इंगित करने की स्थिति में हैं। जो न्यायिक समय का उपभोग करते हैं और जिन्हें इस डर से ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए कि न्यायाधीश अपेक्षित इकाइयों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीशों को अपने राज्यों के संबंध में इकाई आधारित मानदंडों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। इकाई प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि उन मामलों के निपटान में न्यायिक अधिकारियों के आउटपुट को पहचाना जा सके जो प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं। [पैरा 17] [322- जी-एच; 323-ए-बी]

1.3 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वार्षिक फाइलिंग में वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य में बैकलॉग न हो। भविष्य की फाइलिंग में वृद्धि की दर का अनुमान लगाना होगा। भविष्य में क्या होगा इसकी प्रत्याशा एक अनुमान है। भविष्य की फाइलिंग में वृद्धि की सीमा का अनुमान लगाने का एक तरीका अतीत में तुलनीय अवधि में परिलक्षित वृद्धि को ध्यान में रखना है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। वार्षिक फाइलिंग में वृद्धि निर्धारित करने के लिए उन आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। जिला न्यायपालिका की ताकत में वृद्धि इस प्रकार होनी चाहिए कि 'पांच प्लस शून्य' पेंडेंसी हासिल की जाए (पांच साल की लक्षित अवधि के भीतर बैकलॉग को खत्म कर दिया जाए)। [पैरा 18] [323-सी-डी]

1.4 अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट में मानना है कि लंबी अवधि में, जिला न्यायपालिका में अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या का आकलन वैज्ञानिक पद्धति से करना होगा ताकि

प्रत्येक न्यायालय में मामले के निपटारे के लिए आवश्यक न्यायिक घंटों की कुल संख्या निर्धारित की जा सके। अंतरिम में, एक भारित निपटान दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। चूंकि केंद्र सरकार मोटे तौर पर इस दृष्टिकोण से सहमत है, इसलिए जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से इस स्तर पर इसका उपयोग करने की अनुमति देना उचित और उचित है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने दो शर्तें सुझाई हैं, पहला यह कि सभी उच्च न्यायालयों को विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों पर वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। इस संबंध में, एनसीएमएससी और ई-समिति दोनों सक्रिय रूप से उच्च न्यायालयों के साथ जुड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय न्यायिक बकाया ग्रिड के हिस्से के रूप में उच्च न्यायालयों द्वारा वास्तविक समय डेटा को विधिवत संकलित और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। दूसरी शर्त को स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि स्वीकृत पदों का 90 प्रतिशत भरने के बाद ही नए पद सृजित किए जाने चाहिए। जिला न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। कई राज्यों में, पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ मिलकर अपनाई जाती है। कई देरी उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य की जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुविधाजनक बनाया जा सके। कई राज्यों में, उपलब्ध बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त है और मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। इसलिए, आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का वैज्ञानिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने का आधार बनेगा कि राज्य सरकारें न्यायिक देरी से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करेंगी। (पैरा 20] 1324-बी-एफ]

1.5 चौदहवें वित्त आयोग ने न्याय विभाग के प्रस्तावों का समर्थन किया और राज्य सरकारों से राज्य न्यायपालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर

हस्तांतरण के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का उपयोग करने का आग्रह किया। अप्रैल 2015 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के बाद, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने जून 2015 में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बकाया मुद्दों, विशेष रूप से न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की जरूरतों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए नियमित बातचीत के लिए एक तंत्र स्थापित करने का उनसे अनुरोध किया। अप्रैल 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस संबंध में प्रस्ताव अपनाया गया था। [पैरा 21] [326-सी-ई]

1.6 उक्त निर्देश निम्नलिखित शर्तों में तैयार किए गए हैं: i) जब तक एनसीएमएससी जिला न्यायपालिका की आवश्यक न्यायाधीश शक्ति की गणना के लिए आधार निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति तैयार नहीं करता है, तब तक अध्यक्ष, एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत नोट में बताये गये अंतरिम दृष्टिकोण के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए न्यायाधीश शक्ति की गणना की जाएगी; ii) एनसीएमएससी से अनुरोध है कि वह 31 दिसंबर 2017 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करे; iii) अध्यक्ष, एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक महीने के भीतर सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेज दी जाएगी ताकि वे इसे लेने में सक्षम हो सकें। एनसीएमएससी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई; iv) राज्य सरकारें अध्यक्ष, एनसीएमएससी की अंतरिम रिपोर्ट को लागू करने का कार्य संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ करेंगी और तदनुसार प्रत्येक राज्य न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लेंगी; v) राज्य सरकारें अप्रैल 2016 में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन

में पारित प्रस्तावों चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में किए गए हस्तांतरण के संदर्भ में राज्य न्यायपालिकाओं को धन का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से; vi) उच्च न्यायालय अपने राज्य न्यायपालिका की मौजूदा स्वीकृत शक्ति और एनसीएमएससी की अंतरिम सिफारिश के संदर्भ में बढ़ी हुई शक्ति को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण का मुद्दा उठाएंगे; और vii) एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है। [पैरा 22] (328-सी-एच: 329-ए-बीआई

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ (2002) 4 एससीसी 247 [2002] 2 एससीआर 712; बृज मोहन लाल यूनियन ऑफ इंडिया (2012) 6 एससीसी 502 [2012] 5 एससीआर 305- संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ

[2002] 2 एससीआर 712	संदर्भित किया गया	पैरा 7
[2012] 5 एससीआर 305	संदर्भित किया गया	पैरा 8

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 254-262/ 2012

आपराधिक रिट याचिका संख्या 1786/2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2003, 29.04.2003, 30.04.2003, 10.10.2003, 07.05.2004, 26.05.2005, 19.09.2006, 27.09.2006, 06.10.2006 और 18.12.2008 से।

मनिंदर सिंह, एएसजी, रंजीत राव, अजय बंसल, वी. मधुकर, मुकेश के. गिरि, सूर्यनारायण सिंह, एडवर्ड बेल्हो, एएजीएस, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, ए. मारियारपुथम, वरिष्ठ वकील, अजय कुमार सिंह, समीर कुमार तिवारी , टी. ए. खान, सुश्री साधना संधू, सुश्री दिशा वैश्य, एम. के. मरोरिया, डी. एस. माहरा, बी. गौरव यादव, सुश्री अन्विता गौशाला, कुलदीप सिंह, एस.

उदय कुमार सागर, गोपाल सिंह, शिवम सिंह, सुश्री वर्षा पोद्दार, जे.के. भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, सुश्री प्रगति नीखरा, अन्नम डी.एन. राव, अन्नम वेंकटेश, सुदीप्तो सरकार, राहुल मिश्रा, अभिनव गोयल, कौशक सिंधु, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री प्रिया अरस्तू, सुश्री के. प्रियदर्शनी, भारत संगल, सुश्री वर्निका तोमर, सुश्री विदुषी गर्ग, सुश्री स्पंदना रेड्डी , कृष्णानंद पाडेय, तपेश कुमार सिंह, मो. वाकास, आदित्य प्रताप सिंह, महालिंग पंडारगे, निशांत कटनेश्वर, डॉ. रवींद्र चिंगले, क्षत्रशाल राज, सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, के. लुईकांग माइकल, एलिक्स गैंगमेई, सुश्री हेमाटिका वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री अगम कौर, सी.के. ससी, मणिकृष्णन, अशोक के. श्रीवास्तव, अनिरुद्ध पी. माई, ए. सेल्विन राजा, सुश्री चारुदत्त महिंद्राकर, सुनील फर्नांडीज, पुनीथ के.जी., मैसर्स पारेख एंड कंपनी, अभिषेक चौधरी, सुश्री अनिता शेनॉय, कमल मोहन गुप्ता, टी. वी. रत्नम, टी. जी नारायणन नायर, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारो के लिए उनके साथ।

न्यायालय का निर्णय डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 1. ये अपीलें एक आपराधिक रिट याचिका (1786/2003) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के एक बैच से उत्पन्न हुई हैं। 9 अप्रैल 2003 को उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरे और तीसरे द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर के 7 दिसंबर 2002 के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष कई तारीखों पर स्थगित किया गया था जिस दिन यह सूचीबद्ध था। स्थगन के परिणामस्वरूप, विशेष अनुमति याचिकाओं की स्थापना की तिथि पर, रिट याचिका छह वर्षों से उच्च न्यायालय में लंबित थी।

2. यह न्यायालय उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित ऐसे ही मामलों से चिंतित था, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/482 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, एफआईआर के पंजीकरण, जांच, आरोप तय करने या मुकदमे

के दौरान कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए इस न्यायालय ने, 8 जनवरी 2010 के एक आदेश द्वारा, निम्नलिखित गंभीर मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी: (i) हत्या: (ii) बलात्कार; (iii) अपहरण; और (iv) डकैती। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर न्याय मित्र द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इन रिपोर्टों पर 1 फरवरी 2012 के एक आदेश में दो विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा विचार किया गया था, जिनमें से एक हम (भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश) भी शामिल थे। इस न्यायालय के दिनांक 1 फरवरी 2012 के आदेश में न्याय मित्र द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट के निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था:

> "(ए) 9% मामलों में स्थगन आदेश की तारीख से बीस वर्ष से अधिक समय हो चुका है;
>
> (बी) लगभग 21% मामलों में दस साल से अधिक पूरे हो चुके हैं;
>
> (सी) प्रति मामला औसत लंबितता (स्थगन आदेश की तारीख से 26 जुलाई, 2010 तक गणना की गई) लगभग 7.4 वर्ष बैठती है;
>
> (डी) आरोप पत्र को सबसे प्रमुख चरण पाया गया जहां इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लगभग 32% मामलों के साथ मामलों पर रोक लगा दी गई। अगले दो प्रमुख चरण "उपस्थिति" और "समन" पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुल मामलों की संख्या का 19% शामिल है।

3. इन कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है कि न्याय प्रशासन पर सीधे प्रभाव डालने वाले मौलिक मुद्दे शामिल हैं। इस अदालत ने क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया है क्योंकि मामलों, विशेष रूप से आपराधिक मामलों के निपटारे में लंबी देरी से

कानून के शासन और न्याय तक पहुंच दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।

4. 1958 में, न्यायिक प्रशासन के सुधार पर भारत के विधि आयोग की चौदहवीं रिपोर्ट में देरी और बकाया के मुद्दे से निपटा गया और अपर्याप्त न्यायाधीश शक्ति को समस्या के "मूल कारण" के रूप में पहचाना गया। इस परिप्रेक्ष्य को विधि आयोग सहित कई लगातार रिपोर्टों में दोहराया गया है। इनमें "ट्रायल कोर्ट में देरी और बकाया" पर भारत के विधि आयोग की 77 वीं रिपोर्ट, नवंबर, 1978 (कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) शामिल हैं; भारत के विधि आयोग की 78 वीं रिपोर्ट "जेलों में विचाराधीन कैदी की भीड़" पर शामिल है", फरवरी, 1979 (कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार); "उच्च न्यायालयों और अन्य अपीलीय न्यायालयों में देरी और बकाया" पर भारत के विधि आयोग की 79 रिपोर्ट, मई, 1979 (कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार); 121" भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट (नियमित अंतराल पर न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा की विधि), 1987; भारतीय विधि आयोग की 124 वीं रिपोर्ट - उच्च न्यायालय का बकाया - एक ताज़ा नज़र, 1988; बकाया समिति की रिपोर्ट (तीन मुख्य न्यायाधीशों की समिति: केरल, कलकत्ता और मद्रास), 1989-90।

5. न्यायपालिका में जनशक्ति-नियोजन पर विधि आयोग की 120 वीं रिपोर्ट (1987) ने जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक सूत्र का सुझाव दिया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जजों की संख्या तय करने का आधार जनसांख्यिकी होनी चाहिए। इसका औचित्य इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

> "संभावित आरोप के संबंध में कि प्रति दस लाख भारतीय जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या का अनुपात निकालना एक स्थूल उपाय है, आयोग यह कहना चाहता है कि यह जनशक्ति नियोजन का एक स्पष्ट मानदंड है। यदि विधायी प्रतिनिधित्व पर काम किया जा सकता है, जैसा कि पहले बताया गया

है, जनसंख्या के आधार पर और यदि राज्य की अन्य सेवाओं - नौकरशाही, पुलिस इत्यादि - की भी इसी तरह योजना बनाई जा सकती है, तो इस सिद्धांत को न्यायिक सेवाओं तक विस्तारित न करने का कोई कारण नहीं है। यह भी स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि यद्यपि जनसंख्या एक जनसांख्यिकीय इकाई हो सकती है, यह एक लोकतांत्रिक इकाई भी है। दूसरे शब्दों में, हम न्याय तक पहुंच के अधिकार सहित लोकतांत्रिक अधिकारों वाले नागरिकों की बात कर रहे हैं, जिसे प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।"

रिपोर्ट ने संकेत दिया कि यद्यपि 1981 में अमेरिका की आबादी भारत की एक-तिहाई थी, लेकिन वहां न्यायाधीशों की जनसंख्या का अनुपात प्रति दस लाख पर एक सौ सात न्यायाधीशों का था, जबकि भारत में यह प्रति दस लाख पर केवल दस न्यायाधीशों का था। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात को तुरंत दस न्यायाधीशों से बढ़ाकर प्रति दस लाख पर पचास न्यायाधीश किया जाए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि 2000 तक भारत को प्रति मिलियन एक सौ सात न्यायाधीशों का लक्ष्य हासिल करना चाहिए (जो कि अमेरिका ने 1981 में हासिल किया था)।

6. यदि इन सिफ़ारिशों पर अमल किया गया होता तो भारत में 2000 में न्यायाधीशों की संख्या 1,10,071 (1028 मिलियन की जनसंख्या के साथ) और 31 दिसंबर 2015 तक 1,36,794 होती। हालाँकि, सभी स्तरों पर न्यायपालिका की स्वीकृत शक्तियाँ 31 दिसंबर 2015 को केवल 21,,607 थी।

7. इस न्यायालय ने 21 मार्च 2002 को ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए एक फैसले में अपनी 120 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग के विचारों का समर्थन किया और निर्देश दिया कि प्रति मिलियन पचास न्यायाधीशों की जनसंख्या अनुपात के भीतर एक न्यायाधीश पाँच वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए और किसी भी स्थिति में दस वर्ष से अधिक नहीं। इस न्यायालय ने कहा:

"न्यायाधीशों की संख्या में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की वृद्धि को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा निर्धारित और निर्देशित चरणबद्ध तरीके से पदों को भरने के साथ प्रभावी और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा और बढी हुई रिक्तियां और पद आज से पांच साल की अवधि के भीतर भरा जाना चाहिये। शायद हर साल प्रति 10 लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या 10 बढ़ाना उन तरीकों में से एक हो सकता है जिसे अपनाया जा सकता है, जिससे आगे की वृद्धि यदि जरूरी है, शुरू करने से पहले पांच साल के भीतर पहला चरण पूरा किया जा सके।"

न्यायालयों में बकाया पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (2002) ने न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में जनसांख्यिकीय मानदंड के अनुप्रयोग की पेशकश की। 2 अप्रैल 2013 को लिखे एक पत्र में, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अदालतों की मौजूदा संख्या को दोगुना करने की भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया। जब यह मुद्दा 2013 में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उठाया गया था, तो आवश्यक कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के साथ न्यायिक अधिकारियों के नए पद बनाने का संकल्प लिया गया था।

8. बकाया के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था और ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत पांच साल (2000-05) की अवधि के लिए धन आवंटित किया गया था। जब फास्ट-ट्रैक अदालतों को बंद करने का मुद्दा सामने आया, तो बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय ने कहा कि राज्य की नीतियों को न्यायिक स्वतंत्रता को कम करने से कम नहीं करना चाहिए और यदि कोई नीति मुकदमे का बोझ बढ़ाने के लिए अनुत्पादक या उत्तरदायी है, अदालत न्यायिक हस्तक्षेप करती है। हालाँकि इस

न्यायालय ने फास्ट ट्रैक अदालतों को बंद करने के संबंध में नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से परहेज किया, लेकिन मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, जिला न्यायपालिका में कुल नियमित कैडर दस प्रतिशत की सीमा तक एक निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए एक निर्देश जारी किया गया था।

9. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान और योजना केंद्र द्वारा "भारत के अधीनस्थ न्यायालय: न्याय तक पहुंच पर एक रिपोर्ट 2016" शीर्षक से तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट में जिला न्यायपालिका में लंबित मामलों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में संकलित निम्नलिखित तालिका 2013-15 के लिए जिला न्यायपालिका में संस्था, निपटान और लंबित मामलों के आंकड़े दर्शाती है:

वर्ष	शुरूआती शेष	दायर	निस्तारण	लंबित	5 वर्ष से ज्यादा पुराने	आपराधिक प्रकरण 5 वर्ष से ज्यादा पुराने	अपठित क्षमता	कार्यरत क्षमता	रिक्तियां
2015	2,65,09,688	1,09,44,877	1,83,78,256	2,71,76,029	62,01,794	43,19,693	20,558	16,176	4,382
2014	2,68,39,293	1,92,81,971	1,93,28,283	1,64,88,406	64,29,011	44,13,011	20,174	15,585	4,589
2013	2,69,07,252	1,86,70,907	1,87,37,745	2,68,38,861	59,80,700	41,80,216	19,526	15,128	4,398

मामलों की स्थापना, निपटान और लंबित मामलों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, रिपोर्ट इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है:

> "2013-2015 के आंकड़े बताते हैं कि न्यायिक प्रणाली ताजा मामलों के प्रवाह से निपटने में सक्षम है। 2013 में, प्रस्तुती 1.87 करोड़ मामलों के निपटान के साथ 1.86 करोड़ थी। 2014 में संस्था 1.92 करोड़ थी और निपटान 1.93 करोड़ थी। मामले और 2015 में प्रस्तुती का आंकड़ा 1.90 करोड़ था जबकि निपटान 1.83 करोड़ था। पिछले 3 वर्षों की अवधि में, लंबित मामले क्रमशः 2.68 करोड़, 2.64 करोड़ और 2.74 करोड़ मामले रहे हैं। इन आंकड़ों के विपरीत, भारतीय अधीनस्थ

न्यायपालिका में केवल 20,558 अधिकारियों की स्वीकृत न्यायिक कार्यबल और 16,176 अधिकारियों की कामकाजी शक्ति है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना सरल अंकगणित है कि मौजूदा न्यायिक अधिकारी मौजूदा स्थिति के साथ तालमेल रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों की वर्तमान संख्या प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय दंड संहिता के तहत सुनवाई के लिए लाए गए लगभग तेरह प्रतिशत मामलों में सुनवाई पूरी करने में सक्षम है। पिछले पांच वर्षों में सुनवाई के लिए लाए गए मामलों और सुनवाई पूरी होने वाले मामलों की संख्या का अनुपात सात के आंकड़े के करीब है।

10. सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने इस मामले में जिन मुद्दों पर बहस हुई है, उन्हें निष्पक्ष तरीके से निपटाया है, यह स्वीकार करते हुए कि न्याय तक पहुंच एक संवैधानिक अधिकार है। प्रारंभ में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जवाबी हलफनामे में उन उपायों का संदर्भ दिया गया था जो सरकार द्वारा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और देरी को कम करने के लिए अपनाए गए थे। उनमें से निम्नलिखित थे:

I. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति।

I I. लंबित मामलों और देरी को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परामर्श द्वारा अपनाया गया विज़न स्टेटमेंट और कार्य योजना।

III. राष्ट्रीय बकाया ग्रिड की तैयारी.

IV. न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन।

V. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया।

VI. राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित)।

19 वें विधि आयोग के संदर्भ की शर्तें (18 जनवरी 2012 के अपने हलफनामे में केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापित) न्यायिक बकाया से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार करने के लिए पर्याप्त व्यापक थीं। संदर्भ की शर्तों का खंड (एच) था:

"एच. कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जिसे सरकार द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों का विभाग) के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है"।

इसलिए, केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि विधि आयोग से वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया जा सकता है। इस न्यायालय के 1 फरवरी 2012 के आदेश द्वारा विधि आयोग से इस मामले की जांच करने और छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का प्रयास करने का अनुरोध किया गया था। विधि आयोग से तीन अंतरिम प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुईं। 5 जुलाई 2013 के एक आदेश द्वारा इस न्यायालय ने कहा कि चौथी और अंतिम प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। 1 मई 2014 को, इस न्यायालय ने विधि आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों की प्राप्ति दर्ज की और रिपोर्ट पर राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें आवश्यक रिक्तियों के निर्धारण के लिए आधार के रूप में प्रस्तावित निपटान पद्धति की दर भी शामिल है - (1) विभिन्न राज्यों में बकाया की

निकासी; और; (ii) भविष्य में मामलों की स्थापना और निपटान के बीच संतुलन के लिए। इसके बाद, 20 अगस्त 2014 के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) से विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और इस विषय पर इस न्यायालय के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करने का अनुरोध किया गया था। एनसीएमएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. जी मोहन गोपाल ने जिला न्यायपालिका के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या की गणना के लिए एक नोट प्रस्तुत किया है, साथ ही विधि आयोग द्वारा सुझाई गई निपटान पद्धति की दर पर अपनी प्रतिक्रिया भी तैयार की है।

11. विधि आयोग द्वारा सुझाई गई निपटान पद्धति की दर का उद्देश्य मामलों के बैकलॉग को निपटाने के लिए जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का आकलन करना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि एक नया बैकलॉग नहीं बनाया गया। इस पद्धति के तहत, विधि आयोग निम्नलिखित चिंताओं का समाधान करना चाहता है:

i) मामलों का बड़ा मौजूदा बैकलॉग; और

ii) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या कि नई फाइलिंग का निपटान इस तरह से किया जाए कि आगे कोई बैकलॉग न बने।

अभिव्यक्ति "बैकलॉग" को मामलों के संस्थापन और निपटान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। विधि आयोग ने यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रत्येक समीक्षा अवधि के अंत में कोई भी मामला लंबित न रहे।

विधि आयोग द्वारा सुझाई गई निपटान पद्धति की दर को फरवरी 2014 की इसकी अंतिम रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरण से सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है:

"वर्तमान में, और हमारे पास वर्तमान में मौजूद जानकारी के आधार पर, आयोग ने मामलों के बैकलॉग को निपटाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए निपटान दर पद्धति का उपयोग किया है कि नया बैकलॉग न बनाया जाए। इस पद्धति में, दो चिंताओं को संबोधित किया गया है: (ए) मामलों का एक बड़ा बैकलॉग है और (बी) प्रतिदिन नए मामले स्थापित किए जा रहे हैं जो बैकलॉग में जुड़ रहे हैं।

इन दोनों चिंताओं को संबोधित करने के लिए, हम न्यायाधीशों के दो सेट प्रदान करने के लिए निपटान दर पद्धति का उपयोग करते हैं: (ए) मौजूदा बैकलॉग का निपटान करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या और (बी) यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या की आवश्यकता है कि नई फाइलिंग का निपटान इस तरह से किया जाए कि आगे कोई बैकलिग न बने।

निपटान दर पद्धति के तहत, आयोग ने सबसे पहले वर्तमान दर पर ध्यान दिया जिस पर न्यायाधीश मामलों का निपटारा करते हैं। इसके बाद हमने निर्धारित किया कि समान स्तर की दक्षता पर काम करने वाले कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी ताकि किसी एक वर्ष की समय सीमा में निपटान की संख्या संस्थानों की संख्या के बराबर हो जाए। जब तक संस्था और निपटान का स्तर वर्तमान में बना रहेगा, तब तक न्यायालयों को नए निष्कर्षों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इन कई अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए स्थापित मामले बैकलॉग में न जुड़ें।

दूसरा, प्रति न्यायाधीश मामलों के निपटान की वर्तमान दर के साथ काम करते हुए, हमने यह भी देखा कि वर्तमान बैकलॉग को निपटाने के लिए कितने

न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। हमने बैकलॉग को उन मामलों के रूप में परिभाषित किया है जो सिस्टम में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।"

विधि को इस प्रकार समझाया गया है:

"(1) विधि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रत्येक संवर्ग में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या की गणना करती है, अर्थात, उच्च न्यायिक सेवा, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। इन तीन संवर्गों में से प्रत्येक के लिए हमने 2010 से 2012 के अंत तक प्रस्तुती, निस्तारण और न्यायाधीशो की कार्य क्षमता के आंकड़ों का अलग-अलग विश्लेषण किया है।

(2) न्यायाधीशों के एक संवर्ग (उदाहरण के लिए, उच्च न्यायिक सेवा) के निपटान को उस संवर्ग में न्यायाधीशों की कामकाजी ताकत से विभाजित किया जाता है। कार्य क्षमता से तात्पर्य स्वीकृत शून्य रिक्तियों को प्रतिनियुक्तियो से है। यह प्रभाग हमें 2010 से 2012 तक प्रत्येक वर्ष के लिए एक संवर्ग में प्रति न्यायाधीश निपटान की वार्षिक दर देता है। निपटान की इस वार्षिक दर के आंकड़ों के औसत से हमें उस संवर्ग में प्रति न्यायाधीश निपटान की औसत दर मिलती है।

(3) हम वर्ष 2010-12 के लिए न्यायाधीश के प्रत्येक संवर्ग के समक्ष वार्षिक संस्थानों का औसत लेते हैं। औसत संस्थान को उस कैडर के लिए प्रति न्यायाधीश निपटान की औसत दर से विभाजित किया जाता है ताकि हमें वर्तमान फाइलिंग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या मिल सके, और यह सुनिश्चित हो सके कि कोई नया बैकलॉग नहीं बनाया गया है। हम इस आंकड़े को ब्रेक ईवन नंबर कहते हैं।

(4) ब्रेक ईवन संख्या से न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या घटाने पर हमें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की अतिरिक्त संख्या मिलती है कि निपटान की संख्या संस्थानों की संख्या के बराबर होगी।

(5) न्यायाधीशों के एक विशेष संवर्ग के लिए बैकलॉग (एक वर्ष से अधिक समय से न्यायाधीशों के उस संवर्ग के समक्ष लंबित सभी मामलों के रूप में परिभाषित) को उस प्रकार के न्यायाधीश के निपटान की दर से विभाजित किया जाता है। इससे हमें एक वर्ष के भीतर बैकलॉग को निपटाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या मिल गई। इस संख्या को 2 से विभाजित करने पर दो वर्षो मे बैकलॉग निकटाने के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या प्राप्त होती है, इत्यादि।"

इसलिए, ब्रेकईवन के लिए न्यायाधीशों की अतिरिक्त संख्या निर्धारित करने के सूत्र को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

एआरडी [(डी2010/जे2010)+(डी2011/जे2011)+(डी2012/जे2012)/3

बीईजे - -(एवी/एआरडी)-जे

जहां,

बीईजे-ब्रेक ईवन के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की अतिरिक्त संख्या।

एआई- औसत प्रस्तुतीकरण

एआरडी – निस्तारण की औसत दर

डी2010, डी2011 डी2012 - उस वर्ष के लिए वार्षिक निपटान

जे2010,जे2011,जे2012 - उस वर्ष के लिए न्यायाधीशों की वार्षिक कार्य शक्ति

3- न्यायाधीशों की वर्तमान कार्य क्षमता

एक निश्चित समय अवधि के भीतर लंबित मामलों को निपटाने के लिए बैकिंग की आवश्यकता के लिए न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र 11:

एजेबीके (बी/एआरडी)/टी

जहां,

ए.जे.बीके- बैकलॉग निपटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या

बी-एक बैकलॉग, महीने भर के लिए लंबित मामलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है

सी-समय सीमा, वर्षों की संख्या में, जिसके भीतर लैकलॉग को साफ़ करने की आवश्यकता है

12. विधि आयोग ने कहा है कि अतीत में, यह सुझाव दिया गया था कि बैकलॉग के निपटान के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता केवल तब तक है जब तक कि बैकलॉग का निपटान नहीं हो जाता। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया कि बैकलॉग को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से अल्पकालिक, तदर्थ नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। हालाँकि, जिला न्यायपालिका में तदर्थ नियुक्तियों के कामकाज का पिछला अनुभव विशेष रूप से उनके कामकाज और प्रदर्शन में जवाबदेही की कमी को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। इसके अलावा, सिस्टम में नियुक्त तदर्थ न्यायाधीशों के लिए भी अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होगी। शिफ्ट प्रणाली के प्रस्ताव का बार ने विरोध किया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप काम के घंटों में वृद्धि होती है।

13. प्रोफेसर डॉ. जी मोहन गोपाल द्वारा प्रस्तुत नोट विधि आयोग द्वारा सुझाई गई निपटान पद्धति की दर के बारे में कुछ चिंताएँ उठाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत नोट में बताई गई इन चिंताओं का सारांश नीचे दिया गया है:

i) बैकलॉग की परिभाषा (संस्था और निपटान के बीच अंतर) इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती है कि प्रत्येक मामले को उस मामले में शामिल विवाद की प्रकृति के आधार पर इसके निपटान के लिए उचित अवधि की आवश्यकता होती है। उपरोक्त परिभाषा के तहत, यहां तक कि जो मामले एक वर्ष के अंत में दायर किए गए हैं, उन्हें भी बैकलॉग को खत्म करने के लिए 31 दिसंबर तक निपटाया जाना चाहिए। मामलों के निपटान के लिए हमारी प्रणाली में स्थापित समय-सीमा के अभाव में, बैकलॉग का उन्मूलन वास्तव में असंभव है क्योंकि अदालतों के लिए निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के अंत से कुछ दिन या सप्ताह पहले दायर मामलों का निपटान करना असंभव है;

ii) निपटान पद्धति की दर अनजाने में कम निपटान को प्रोत्साहित करती है क्योंकि निपटान की दर जितनी कम होगी, इस पद्धति के तहत उस अदालत को अतिरिक्त न्यायिक पदों की संख्या उतनी ही अधिक मिलेगी। विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित विधि (आलोचना के अनुसार) उत्पादकता में सुधार के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है और न ही यह जज-टू-केस अनुपात से संबंधित है;

iii) निपटान पद्धति की दर मामलों को उनकी प्रकृति और जटिलता के आधार पर महत्व नहीं देती है और सभी प्रकार के मामलों को एक समान माना जाता है। जटिल मामलों में साधारण मामलों की तुलना में अधिक न्यायिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है;

iv) निपटान पद्धति की दर न्यायाधीशों के कार्य भार की तर्कसंगतता को ध्यान में नहीं रखती है। न्यायाधीश की ताकत के किसी भी मूल्यांकन में मानसिक और शारीरिक

थकान से काम की गुणवत्ता ख़राब होने से पहले न्यायाधीश के लिए "अधिकतम अनुमेय उचित कार्य भार" को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

v) केवल बैकलॉग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि बैकलॉग के साथ-साथ नए मामलों के प्रवाह से निपटने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की ताकत का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है।

14. एनसीएमएससी ने सुझाव दिया है कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए बैकलॉग की मंजूरी एकमात्र या केंद्रीय आधार नहीं है। कई अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों में शामिल हैं (i) मामले की मंजूरी की दर: संस्थान के प्रतिशत के रूप में निपटाए गए मामलों की संख्या; (ii) समय पर निपटान दर - स्थापित समय सीमा के भीतर हल किए गए मामलों का प्रतिशत; (iii) प्री-ट्रायल हिरासत अवधि जिसमें एक विचाराधीन कैदी किसी आपराधिक मामले की सुनवाई लंबित होने तक हिरासत में रहता है; और (iv) परीक्षण तिथि निश्चितता - महत्वपूर्ण मामले प्रसंस्करण प्रावधानों का अनुपात जो अंतिम रूप से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। प्रोफेसर डॉ. जी मोहन गोपाल का सुझाव है कि निपटान पद्धति की दर पिछले दृष्टिकोणों से कोई खास फर्क नहीं डालती है, जिनके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं।

15. एनसीएमएससी के अध्यक्ष ने एक अंतरिम दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया है जो मामलों को उनकी प्रकृति और जटिलता के आधार पर महत्व देने के लिए उच्च न्यायालयों की प्रचलित इकाई प्रणाली के साथ विधि आयोग की निपटान दर पद्धति को बढ़ाता है। इकाई प्रणाली के तहत उच्च न्यायालयों ने विभिन्न मामलों के निपटान के लिए आवंटित इकाइयों के आधार पर जिला न्यायपालिका के लिए निपटान मानदंड स्थापित किए हैं। निर्धारित इकाइयों के आधार पर, प्रदर्शन को "उत्कृष्ट" और "बहुत अच्छा' से 'असंतोषजनक' तक का दर्जा दिया गया है। इकाई प्रणाली के आधार पर जो दृष्टिकोण सुझाया गया है, वह इस प्रकार है:

"आवश्यक न्यायाधीश शक्ति का आकलन करने के लिए यूनिट प्रणाली को लागू करना

। नए मामलों के वार्षिक "प्रवाह" ("ब्रेक ईवन") के निपटान के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या

25. प्रत्येक अदालत को सभी प्रकार के मामलों के लिए पिछले पांच वर्षों में अपनी औसत वार्षिक फाइलिंग की गणना इकाइयों में करनी चाहिए।

26. बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए उपरोक्त वार्षिक फाइलिंग इकाइयों को न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाने के लिए आवश्यक वार्षिक इकाइयों की संख्या से विभाजित करें।

27. इससे प्रत्येक अदालत को "ब्रेक ईवन" सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या मिल जाएगी, यानी निपटान उस अदालत में हर साल दायर किए गए नए मामलों की संख्या के बराबर हो जाएगा।

।।. लंबित मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या

28. सबसे पहले, प्रत्येक अदालत को अपने "बैकलॉग" की इकाइयों में गणना करनी चाहिए, यानी निपटान के लिए उसके द्वारा निर्धारित अधिकतम समय मानक (उदाहरण के लिए, तीन वर्ष) से अधिक समय से लंबित सभी श्रेणियों के मामलों की संख्या।

29. दूसरा, एक उपयुक्त समय अवधि स्थापित की जा सकती है जिसके भीतर इस "बैकलॉग" को साफ़ किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए 5 वर्ष)।

30. तीसरा, कुल बैकलॉग को उन वर्षों की संख्या से इकाइयों में विभाजित करें जिनके भीतर इसे पूरा किया जाना है (उदाहरण के लिए, 5 वर्ष)। इससे "बैकलॉग" का आवश्यक वार्षिक निपटान हो सकेगा।

31. चौथा, बैकलॉग के आवश्यक वार्षिक निपटान को प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा निपटाई जाने वाली आवश्यक वार्षिक इकाइयों की संख्या से विभाजित करें (बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए आवश्यक इकाइयाँ)।

32. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर "बैकलॉग" का निपटान करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या बताता है।

33. इस प्रकार आंकी गई न्यायाधीशों की संख्या की सालाना निगरानी की जानी चाहिए।

34. कहने की जरूरत नहीं है, यह वांछनीय होगा कि देश भर में दृष्टिकोण की एकरूपता के साथ इकाई प्रणालियों को तर्कसंगत और मजबूत किया जाए, वर्तमान में मौजूद प्रणालियों की विविधताओं और सीमाओं को संबोधित करते हुए।

iii. "ब्रेक ईवन" प्लस "बैकलॉग का निपटान" प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की कुल संख्या

35. जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, "ब्रेक ईव" के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या को बैकलॉग के निपटान के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या में जोड़ें।

iv. नई अदालतों के निर्माण के लिए ट्रिगर

36. जब किसी भी अदालत के लिए, सालाना निपटारे के लिए आवश्यक इकाइयों की कुल संख्या ("ब्रेकईवन" प्लस बैकलॉग, यदि कोई हो) एक बहुत अच्छे प्रदर्शन वाले न्यायाधीश के लिए निपटान मानक के 1.5 गुना से अधिक हो, तो एक नई अदालत बनाने की आवश्यकता होगी।

16. विधि आयोग द्वारा सुझाई गई निपटान पद्धति की दर की सीमाओं का मूल्यांकन करते समय, जिसे अध्यक्ष, एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नोट किया गया है, कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। यह आलोचना कि निपटान पद्धति की दर कुछ अदालतों में कम निपटान पर प्रोत्साहन देती है, की अपनी सीमाएँ हैं। निपटान की कम दर आवश्यक रूप से उस दक्षता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती जिसके साथ एक न्यायाधीश ने अदालत का संचालन किया है। सरकारी अभियोजकों की कमी के कारण मुकदमे रुके हुए हैं। राज्य द्वारा उद्धृत गवाह, विशेष रूप से पुलिस कर्मी, मुकदमे के लिए निर्धारित तारीखों पर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी होती है। पुलिस की ढिलाई के कारण समन तामील होने में देरी हो रही है। कई उत्तरी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में गर्मी के तापमान में वृद्धि के कारण निरंतर बिजली आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण कई जिलों में सुबह की अदालतों को संस्थागत बनाना पड़ा है। सीमित संसाधनों वाले सामान्य वादकारियों और गवाहों की सुविधा, जो परिवहन के उचित साधन के बिना दूर से यात्रा करते हैं, की पीठासीन न्यायिक अधिकारी द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरूप, उन अदालतों का कामकाज प्रभावित होता है जिनमें बुनियादी ढांचे की भी कमी होती है। कई राज्यों में, यह अनुभव हुआ है कि जिला अदालतों को वकीलों की हड़तालों और संबंधित न्यायाधीश या अदालत के कामकाज से असंबंधित कारणों से काम से विरत रहने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे कारणों से मानव दिवस की हानि के परिणामस्वरूप उत्पादक न्यायिक समय की बर्बादी होती है। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि निपटान पद्धति की दर अनुत्पादक या अकुशल पर प्रोत्साहन देती है। महज आंकड़ों के आधार पर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

17. एक अन्य पहलू जो जोर देने योग्य है वह यह है कि निपटान के लिए इकाइयों को निर्धारित करते समय, उच्च न्यायालयों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत

प्रयास किया जाना चाहिए कि पुराने मामलों के निपटान को उचित महत्व दिया जाए। निपटान के लिए निर्धारित इकाइयों को जटिल और समय लेने वाले मामलों को देखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ऐसा न होने पर, जिला न्यायपालिका के लिए प्रतिबंधित आउट-टर्न को उन मामलों के निपटान पर ध्यान दिए बिना हासिल करने का प्रयास किया जाता है जो उनकी जटिलता, शामिल गवाहों की संख्या और ऐसे अन्य कारकों के परिणामस्वरूप लंबे समय तक लंबित रहते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर जिला न्यायपालिका के परामर्श से उच्च न्यायालयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला न्यायाधीश सेवा में लंबे वर्षों के अनुभव के साथ व्यावहारिक वास्तविकताओं की सराहना करने और उस तरीके को इंगित करने की स्थिति में हैं जिसमें प्रत्येक राज्य में यूनिट प्रणाली को संशोधित किया जा सकता है ताकि न्यायाधीशों को परीक्षण और अपीलीय स्तर दोनों पर उन मामलों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो उपभोग करते हैं। न्यायिक समय और जिसे इस डर से पीछे नहीं रखा जाना चाहिए कि न्यायाधीश अपेक्षित इकाइयों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीशों को अपने राज्यों के संबंध में इकाई आधारित मानदंडों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। इकाई प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि उन मामलों के निपटान में न्यायिक अधिकारियों के आउटपुट को पहचाना जा सके जो प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं।

18. न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वार्षिक फाइलिंग में वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य में बैकलॉग न हो। भविष्य की फाइलिंग में वृद्धि की दर का अनुमान लगाना होगा। भविष्य में क्या होगा इसकी प्रत्याशा एक अनुमान है। भविष्य की फाइलिंग में वृद्धि की सीमा का अनुमान लगाने का एक तरीका अतीत में तुलनीय अवधि में परिलक्षित वृद्धि को ध्यान में रखना है

जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। वार्षिक फाइलिंग में वृद्धि निर्धारित करने के लिए उन आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। जिला न्यायपालिका की ताकत में वृद्धि इस प्रकार होनी चाहिए कि 'पांच प्लस शून्य' पेंडेंसी हासिल की जाए (पांच साल की लक्षित अवधि के भीतर बैकलॉग को खत्म कर दिया जाए)।

19. अध्यक्ष, एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के जवाब में, भारत संघ की ओर से कानून और न्याय मंत्रालय में एक हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हालांकि वह मोटे तौर पर इस दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन एनसीएमएससी द्वारा सुझाई गई पद्धति को कुछ शर्तों के अधीन अपनाया जा सकता है। प्रतिक्रिया का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> "6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत सरकार का कानून और न्याय मंत्रालय मोटे तौर पर एनसीएमएस समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत है। निम्नलिखित शर्तों के साथ न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए एनसीएमएस समिति द्वारा सुझाई गई पद्धति को अपनाया जा सकता है।
>
> (i) सभी उच्च न्यायालयों को चल रहे ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत समान डेटा संग्रह और डेटा प्रबंधन विधियों को विकसित करना चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों पर ऑनलाइन वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराना चाहिए।
>
> (ii) नए पदों के निर्माण के लिए ट्रिगर को स्वीकृत पदों का 90% भरने के बाद ही सक्रिय किया जाना चाहिए, अन्यथा अतिरिक्त पदों के निर्माण से लंबित मामलों में कमी पर कोई प्रभाव या परिणाम नहीं होगा।

20. एनसीएमएससी के अध्यक्ष द्वारा इस न्यायालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें कहा गया है कि लंबी अवधि में, न्यायिक घंटों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए जिला न्यायपालिका में अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या का वैज्ञानिक पद्धति से आकलन करना होगा जो कि प्रत्येक न्यायालय के केस भार के निपटान के लिए आवश्यक है। अंतरिम में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक भारित निपटान दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। चूंकि केंद्र सरकार मोटे तौर पर इस दृष्टिकोण से सहमत है, इसलिए हम जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से इस स्तर पर इसका उपयोग करने की अनुमति देना उचित और उचित मानते हैं। हालाँकि, केंद्र सरकार ने दो व्यापक शर्तें सुझाई हैं। पहला यह कि सभी उच्च न्यायालयों को विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों का वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। इस संबंध में, एनसीएमएससी और ई-समिति दोनों सक्रिय रूप से उच्च न्यायालयों के साथ जुड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय न्यायिक बकाया ग्रिड के हिस्से के रूप में उच्च न्यायालयों द्वारा वास्तविक समय डेटा को विधिवत संकलित और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। हम दूसरी शर्त को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं कि स्वीकृत पदों का 90 प्रतिशत भरने के बाद ही नए पद सृजित किए जाने चाहिए। एक बात तो यह है कि जिला न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। कई राज्यों में, पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ मिलकर अपनाई जाती है। कई देरी उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अलावा, राज्य जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुविधाजनक बनाया जा सके। कई राज्यों में, उपलब्ध बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त है और मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। इसलिए, आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का वैज्ञानिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने का आधार बनेगा कि राज्य सरकारें न्यायिक देरी से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करेंगी।

21. इस न्यायालय के 29 नवंबर 2016 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को राज्य न्यायपालिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए धन और इसके लिए तौर-तरीकों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी थी और संवितरण और उपयोग के लिये:

"i) क्या उक्त आवंटन का कोई विवरण वित्त आयोग और/या भारत सरकार के लिए प्रदान किया गया है या उन क्षेत्रों के बारे में कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं जिनमें उक्त राशि खर्च की जाएगी

ii) यदि ऐसा कोई ब्रेक-अप निर्धारित किया गया है, तो संचार/आदेश की एक प्रति जिसके तहत इसे प्रदान किया गया है, रिकॉर्ड पर रखी जाए।

iii) वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा भारत सरकार राज्यों द्वारा न्यायपालिका के लिए निर्धारित राशि के उपयोग की निगरानी करने का प्रस्ताव करती है। राज्यवार आवंटन भी दर्शाया जाए।"

इन निर्देशों के क्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है। हलफनामे से पता चलता है कि न्याय विभाग ने चौदहवें वित्त आयोग को 9749 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता वाले निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे:

I. लंबित मामलों में कमी	858.83 करोड़ रुपये
II. फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना	4144.11 करोड़ रुपये
III. ऐसे न्यायालयों से रहित जिलों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना	541.06 करोड़ रुपये
IV. मौजूदा अदालत परिसरों को मुकदमेबाज़ों के लिए अधिक	1400 करोड़ रुपये

अनुकूल बनाने के लिए उन्हें फिर से डिज़ाइन करना	
V. आईसीटी सक्षम अदालतों के लिए तकनीकी सहायता बढ़ाना	479.68 करोड़ रुपये
VI. उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के केस रिकॉर्ड की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण	752.50 करोड़ रुपये
VII न्याय तक पहुंच बढ़ाना	
i) विचाराधीन कैदियों पर ध्यान देने के साथ लॉ स्कूल आधारित कानूनी सहायता क्लीनिकों के लिए समर्थन	50.50 करोड रूपये
ii) लोक अदालतों का आयोजन	93.61 करोड रूपये
iii) मध्यस्थता/ सुलह के लिए समर्थन एडीआर केंद्रों में	300 करोड रूपये
iv) मध्यस्थों/समाधानकर्ताओं को प्रोत्साहन	503.44 करोड रूपये
VIII. (क) न्यायाधीशों का प्रशिक्षण और और क्षमता निर्माण, लोकअभियोजक, मध्यस्थ, वकील: पुनश्चर्या, चालू	550 करोड़ रुपये
(बी) मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमियों की स्थापना	75 करोड़ रुपये
कुल लागत	9749 करोड़ रुपये

राज्यवार और क्षेत्रवार विवरण हलफनामे के साथ संलग्न किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग ने न्याय विभाग के प्रस्तावों का समर्थन किया और राज्य सरकारों से राज्य न्यायपालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर हस्तांतरण के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का उपयोग करने का आग्रह किया है। भारत

के प्रधान मंत्री ने 23 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे न्यायिक प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिये 2015-2016 तक राज्य के बजट में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के लिए आवश्यक धन आवंटित करने का आह्वान किया गया है। अप्रैल 2015 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के बाद, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने जून 2015 में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बकाया मुद्दे, विशेष रूप से न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की जरूरतों से संबंधित समाधान के लिए नियमित बातचीत के लिए एक तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अप्रैल 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव अपनाया गया था:

"यह संकल्प लिया गया कि उच्च न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई जाएगी:

i) निधियों के उपयोग के लिए एक समर्पित सेल का गठन। सेल की संरचना में नीति निर्माता, योजना और बजट बनाने के विशेषज्ञ, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होने चाहिए। सेल को यह कार्य सौंपा जाएगा:

(ए) परिप्रेक्ष्य/वार्षिक योजनाएं और समय-सीमा तैयार करना;

(बी) बजट अनुमान तैयार करना;

(सी) कैश योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा;

(डी) धन जारी करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाना।

ii) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-2020 के लिए समय के भीतर राज्य सरकार से धन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि धन बजटीय आवंटन के अनुसार खर्च किया जाए और त्वरित और प्रभावी उपयोग किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, समय-समय पर बैठकें और समीक्षाएँ आयोजित की जाएँ; और

iv) विशेष ऑनलाइन पोर्टल और आईसीटी उपकरणों के माध्यम से योजनाओं और परिणामों की निगरानी। राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की बैठकों में की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली द्वारा समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजी जाएगी।

इसके बाद मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव अपनाया गया:

> "राज्य न्यायपालिकाओं को 14 वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के उचित और समय पर उपयोग की सुविधा के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया कि:

(i) प्रत्येक राज्य के वित्त सचिवों को 14 वें वित्त आयोग निधि की निगरानी के प्रभारी उच्च न्यायालय समितियों के काम से जोड़ा जाएगा;

(ii) राज्य न्यायपालिकाओं की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए;

(iii) ई-कोर्ट योजना और बुनियादी ढांचा योजना के संबंध में, जिसकी निगरानी न्याय विभाग द्वारा की जा रही है, इन दो योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को भेजी गई धनराशि की सूचनाएं न्याय विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों को भी भेजी जाएंगी।

(iv) राज्य सरकारें (i) उच्च न्यायालयों को ऐसी सहायता देंगी जो 14 वें वित्त आयोग की निधि के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक हो; और (ii) उचित उपयोग की सुविधा के लिए 2016-17 के लिए एकमुश्त छूट प्रदान करें"।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राज्य के वित्त सचिवों को न्याय क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं/व्यक्तिगत योजनाएं तैयार करने के लिए उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों की सहायता करनी चाहिए। 26 सितंबर 2016 को मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा गया है। हलफनामे में बताया गया है कि क्रमशः मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के प्रस्तावों के तहत आवश्यक तंत्र स्थापित किए गए हैं।

22. उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अब हम निम्नलिखित शब्दों में अपनी दिशाएँ तैयार करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

i) जब तक एनसीएमएससी जिला न्यायपालिका में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या की गणना के लिए आधार निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति तैयार नहीं कर लेता, तब तक अध्यक्ष, एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत नोट में दर्शाए गए अंतरिम दृष्टिकोण के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए न्यायाधीशों की संख्या की गणना की जाएगी;

ii) एनसीएमएससी से अनुरोध है कि वह 31 दिसंबर 2017 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करे;

iii) एनसीएमएससी के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक महीने के भीतर सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेज दी जाएगी ताकि वे इस पर विचार कर सकें। एनसीएमएससी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिला न्यायपालिका की आवश्यक न्यायाधीश संख्या निर्धारित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, जो इस निर्णय में कहा गया है;

iv) राज्य सरकारें अध्यक्ष, एनसीएमएससी की अंतरिम रिपोर्ट को लागू करने का कार्य संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ करेंगी (जो ऊपर देखा गया है उसके अधीन) और आवश्यक वृद्धि के लिए आज से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लेंगी। तदनुसार प्रत्येक राज्य न्यायपालिका की न्यायाधीश शक्ति;

v) राज्य सरकारें अप्रैल 2016 में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के संदर्भ में राज्य न्यायपालिकाओं को चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में किया गया हस्तांतरण धन के शीघ्र वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालयों के साथ हर तरह से सहयोग करेंगी;

vi) उच्च न्यायालय अपने राज्य न्यायपालिकाओं की मौजूदा स्वीकृत शक्ति और एनसीएमएससी की अंतरिम सिफारिश के संदर्भ में बढ़ी हुई शक्ति को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण का मुद्दा उठाएंगे;

vii) एनसीएमएससी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है। उपरोक्त (i) में दिए गए निर्देश तब अंतिम निर्णय के अधीन होंगे जो अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर लिया जाएगा; और

viii) इस आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को उपलब्ध कराई जाएगी।

23. आपराधिक अपीलों के निस्तारण की कार्यवाही जुलाई 2017 के तीसरे सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

निधि जैन

दिशा-निर्देश जारी किये गये।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।